भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 2080**

**02 अगस्त, 2023 के लिए प्रश्न**

**चावल और गेहूं की बढ़ती कीमतें**

**2080. श्रीमती रंजनबेन भट्ट:**

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गेहूं और चावल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**ग्रामीण विकास तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री**

**(साध्वी निरंजन ज्योति)**

**(क):** भारत सरकार द्वारा गेहूं और चावल के घरेलू खुदरा मूल्यों की नजदीकी से मॉनीटरिंग की जा रही है। गेहूं और चावल के खुदरा मूल्यों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जनवरी 2023 में, गेहूं का औसत खुदरा मूल्य 31.58 रुपये प्रति किलोग्राम था जो मई, 2023 में घटकर 28.74 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया था। इसके पश्चात्, जुलाई, 2023 में गेहूं का औसत खुदरा मूल्य पुन: बढ़कर 29.59 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। जनवरी, 2023 में चावल का औसत खुदरा मूल्य 38.09 रुपये प्रति किलोग्राम था जो जुलाई, 2023 में बढ़कर 40.82 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है।

**(ख) से (घ):** भारत सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए समय-समय पर विभिन्न कदम उठाए हैं। इन कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बफर स्टॉक से ओएमएसएस (डी) के अंतर्गत गेहूं और चावल का निर्गम (रिलीज़) शामिल है ताकि मूल्यों को कम करने, गेहूं के स्टॉक की सीमा को लागू करने, इकाईयों द्वारा घोषित स्टॉक की मॉनीटरिंग और खाद्य वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित किया जा सके।

******